"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-56/2008/20-एक.—विभागीय समसंख्यक दिनांक 3-9-2008 द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें कि "छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी शिक्षा सेवा (स्कूल स्तर सेवा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2008" बनाया गया है. उक्त अधिसूचना पर निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

क्र. (1)	उल्लेखित पैरा/अनुसूची जिसमें संशोधन करना है (2)	वह अंश/विवरण जो भर्ती नियम में उल्लेखित है (3)	उल्लेखित अंश/विवरण में संशोधन (4)
1.	अनुसूची-3 का क्रमांक-2 कॉलम-7 प्रथम वाक्य.	उच्च वर्ग शिक्षक के पद "संकायवार होंगे"	"उच्च वर्ग शिक्षक" के पद शब्दों के आगे "संकायवार होंगे" इन शब्दों को विलोपित कर उनके स्थान पर निम्न स्थापित किया जाता है :— "बिषयवार होंगे"
2.	अनुसूची क्र. 2 के सरल क्र. 1 के कॉलम 6 में.	कॉलम 6 में उल्लेखित "पंचायत विभाग तथा नगरीय प्रशासन व विकास विभाग" शब्दों को विलोपित किया जाना है.	"पंचायत विभाग तथा नगरीय प्रशासन व विकास विभाग" शब्दों को विलोपित करते हुए "स्कूल शिक्षा विभाग" प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2010

क्रमांक एफ 1-56/20-एक/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-56/20-एक/2008 दिनांक 29-5-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 29th May 2010

NOTIFICATION

No. F 1-56/2008/20-One.— The following amendments are being made in the notification of Chhattisgarh School Education Non-gazetted Class-III Education (School level service) recruitment Bharti and Promotion Rules 2008 No.-I/56/2008/20-One departmental Notification dated 03-09-2008.

S. No.	Mentioned Para/Schedule to be amended	The Part/Particulars mentioned in the recruitment rule	Amendment made in the Existing part/Particulars of the rules
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	In First sentences of column 7 of serial No. 2 of Schedule-3.	The Posts of Upper Division Teacher will be "Faculty wise".	"Faculty wise" is Restablished as "Subject wise".
2.	In column 6 of serial No. 1 of Schedule-2.	The word Panchayat and Urban Administrative and Development Department have to deleted.	In place of the word "Panchayat and Urban Administrative and Development Department" the word re-established "School Education Department".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.